10 वर्ष की स्कूल शिक्षा के संबंध में शैक्षिक ढांचे में विभिन्नताएं हैं।

- (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में भी 10+2 ढांचे की अच्छाइयों की पुन: पुष्टि की गई है, जिसके लाभ राज्यों में पहले ही विद्यमान ढांचों में इस प्रकार हैं :⊸⊸
- (i) सरकार के मानकीय निर्देशों के मंतर्गत राष्ट्रीय एकता बढ़ाने अन्तर क्षेत्रीय गतिगोलता को प्रोत्साहन देने ग्रौर स्कूज शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए देश भर में स्कल शिक्षा की मोटे तौर पर एक समान पद्धति ।
- (ii) विज्ञान श्रीर भाषाश्रों पर महत्व के सत्य दस वर्ष की सामान्य समरूप शिक्षा लाकि छात्र विकासशील विज्ञान उन्मुख ःगत का सामना कर सके।
- (iii) +2 स्तर पर अनेक समरूप शाखाधों जैसे मानविकी विज्ञान, वाणिज्य भीर व्यावसायिक पाठ्यकमों की शुरू-म्रात +2 स्तर पर उपयुक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करना ताकि बड़ी संख्या में छालों को कार्यज्ञात में प्रवेश करने का यवसर प्रदान किया जासके ग्रीर इसने उच्च तर/व्यावस यिक शिक्षा संस्थाग्रों में प्रवश के दबाव को कम किया जा सके। यह 10 + 2 प्रणाली का प्रमाणांक है।
- (iv) स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्⊲रों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंघान ग्रीर प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित शिक्षण के स्तरों, अनुदेशात्मक सःमग्री धौर स्कूल पाठ्यचर्या में व्यापक समानता लाना जिससे संपूर्ण देश में सामान्य स्तर को बढ़ाया जा सके।
- (ग) प्राथमिक स्कूलों के स्तरों में व्यापक एकरूपता लाने के लिए प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए शिक्षा के न्यूनतम सार रखे गये हैं। प्राथमिक स्कुलों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं में विषमतास्रों को दर करने के लिए आपरे-

शन ब्लैकबोर्ड योजना में प्रायमिक स्कूलों में कम से कम दो कमरे, जो समी मौसमों में काम बा सकें, दो शिक्षक ब्रौर मावश्यक शिक्षण/बध्यापन सामग्रियां प्रदान करने की व्यवस्था है। सरकार की नोति है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का पाध्यम भातृभाषा होता चाहिए।

इंटरमोडिएट कक्षाओं के पश्चात् कला विषयों और कानून की शिक्षा की रोह देना संभव नहीं है, क्योंकि इस प्रकार को रोक लगाने से विद्यार्थी इन विषयों को चुनने के अधिकार से वंचित्र हो ज एगे, जिसका परिणास यह होगा कि इन विषयों के पाठ्यकम को शिक्षा प्रदान करने वालो संस्थाएं/विनाग बंद हो जाएंगे ग्रौर इत पाठ्यकमों के बध्ययन से लाभ उउठाने को इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को ग्राजी-विका के अवसरों में रुकावट पैदा हो जाएगो।

भारतीय सांख्यिकीय सेवाओं के संवर्ग का पुनविलोकन

36. श्री मनन्तराम जायसवाल: नश प्रधान मंत्रो यह बताने की कृपा करेंगे কি:

- (क) क्या यह सच है कि संगठित सेवाओं में श्रेणी "क" के अधिकारियों के संवर्ग का पुनर्विलोकन प्रत्येक पांच वर्ष के बाद करना अनिवार्य है;
- (ख) यदि हां, तो क्या भारतीय सांख्यिकीय सेवाधों में कभी कोई संवर्ग-पुनर्विलोकन किया गया है;
- (ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और
- (घ) क्या भारतीय सांस्थिकीय सेवाग्रों के संवर्गका पूर्निलोकन अब सरकाप के विचाराधीन है; यदि हां, तो पूनविलोकन का काम कब तक पूरा हो जायेगा?

योजना संवालय में राज्य मंत्री ग्रौर कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन): (क) समूह "क" केन्द्रीय सेराओं का संबर्ग पुनिंद-लोहन प्रत्येक तीन वर्ष के बाद करने का प्राचधान है।

## (ख) जी, नहीं ।

- (ग) तथा (घ) इस संबंध में मुख्य कठिनाईयां हैं:—
- (1) अन्य समूह "क" केन्द्रीय सेताओं से भिन्न भारतीय सांख्यिकीय सेता में संबर्ग पद किसी एक श्रकेले विज्ञाग के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं हैं।
- (2) वर्ष 1986 में उच्चतम न्याया-लय के आदेश के अनुसरण में सेशा के ग्रेड चार में संस्वीकृत कर्मवारी संख्या के अतिरिक्त व्यक्तियों की बड़ी संख्या में भर्ती तथा
- (3) लिस्वत न्यायालय मामले तथा रोक आदेश जिनका संवर्ग संरचना ५र प्रभाव है।

समस्याएं ऐसी हैं कि संबर्ग पुनीलोकन तत्काल धारम्भ करना कठिन हैं।
तयापि, सरकार भारतीय सांख्यिकीय सेवा
के ग्रेड चार से ग्रेड तीन पदों के ग्रेड
बढ़ाने संबंधी केन्द्रीय प्रजातिक अधिकरण
के रोक संबंधी खादेश के खाली हो जाने
पर इसके परवात् 9 महीनों के अन्दर
पुनी-लोकन करने का यहन करेगी।
इस बीच, सरकार ने नए पदों की संबर्ग
में शामिल करने तथा पदों की कोटि
बढ़ाने जैसे हाल के उपायों द्वारा सेवा की
प्रत्यात्रात्रों में सुधार के लिए कार्यवाई
की है।

## पढिलक स्कूलों पर सरकारी नियंत्रण

- 37. श्री श्रनन्तराम जायसवाल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की क्या करेंगे कि:
- (क) क्या सरकार का दिल्ली के पिंडलक स्कूलों के संवालन पर कोई नियंत्रण है; यदि हां, तो कितना ; ग्रीर

(ख) क्या दिल्ली के पब्लिक स्कूतों के प्रबंध क मासिक फ़ीस में वृद्धि बरने के लिए प्रत्येक एक या दो वर्ष के उपरान्त सरकार से अनुमति लेते हैं; यदि हां, तो सरकार किस आधार पर उन्हें ऐसा करने की अनुमति देती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनमाई मेहता): (क) विवरण संलग्न है (नीचे दिथा गया है)

(ख) दिल्ली में पिब्लिक स्कूलों के प्रबंधक मासिक फ़ीस बढ़ाने के लिए सर-कार की अनुमति प्राप्त करते हैं, यदि इसे शैक्षिक सत्र के दौरान बढ़ाना जरूरो हो। तथापि, प्रबन्धक शैक्षिक सत्र के आरम्भ में इस प्रकार की फ़ीस बढ़ाने के लिए स्त्रयं सक्षम हैं। साधारणतथा इस प्रकार की फ़ीस का कर्मचारियों के बेतन ग्रीर भत्तों की ग्रदायगी के लिए दित्तीय अपेक्षाओं के ग्राधार पर बढ़ाया जाना अथा प्रासं-गिक नियमों के ग्रंतर्गत ग्रन्य ग्राह्य खर्चे के लिए ग्रनुमत्य होगा।

## विवरण

संघ शासित प्रदेश दिल्ली में स्कूली शिक्षा, श्रिष्ठिनियम, 1973 तथा उसके शंतर्गत बनाये गये नियमों द्वारा नियंदित की जाती है । गैर-सहायता प्राप्त पिक्ल स्कूलों के संबंध में दिल्ली स्कूल शिक्षा श्रिष्ठिनियम, 1973 के अन्तर्गत दिल्वी प्रशासन के श्रिष्ठकार निम्नलिखित हैं :—

- (क) खण्ड 3(2) के अन्तर्गत, प्रशा-सक किसी व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकरण को किसी भी स्कूल की स्थापना या रख-रखाव के लिए अनुमति प्रधान कर सकता है बशर्ते कि अधिनियम तथा नियमों का पालन किया जाये।
- (ख) खण्ड 4 के अन्तर्गत जिसते प्राधिकरण किसी प्राइवेट स्कूल को मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन पत्न पर विचार कर सकता है। मान्यता प्रदान